संख्या-4/2024/41/12-5-2024/12-5099/42/2021

प्रेषक,

डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उ0प्र0, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 12 जनवरी, 2024**

विषयः-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना के अन्तर्गत बेन्चमार्क मूल्य कम होने के फलस्वरूप निविदा मूल्य पर 60 प्रतिशत अनुदान पर कृषको के प्रक्षेत्रों पर स्टैण्ड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना हेतु वर्ष 2023-24 से 2024-25 तक टाप अप की कार्ययोजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सोलर/382/पी०एम०कुसुम/2023-24, दिनांक 19.09.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1018/12-3-2020-100(10)/2014 टी0सी0, दिनांक 23.07.2020 द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना हेतु वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक संचालित किये जाने की मा० मंत्रि-परिषद से स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत सोलर पम्प के मूल्य का 30 प्रतिशत केन्द्रांश तथा उक्त के सापेक्ष 30 प्रतिशत राज्य अनुदान दिये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- प्रदेश में पीएम-कुसुम योजनान्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार, नई दिल्ली व राज्य सरकार के अनुदान से वर्ष 2020-21 से कराई जा रही है। उक्त योजनान्तर्गत अद्यतन तक कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के 30177 सोलर पम्प स्थापित कराये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-61/2023/1100/12-552023/12-5099/24/2022, दिनांक 15.09.2023 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त कार्ययोजना में 30000 सोलर पम्प स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है।

3- उल्लेखनीय है कि इस योजना में केन्द्रांश की अनुमन्यता बेन्चमार्क मूल्य पर आधारित है। भारत सरकार द्वारा बेन्च मार्क मूल्य पर 30 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में सोलर पम्प के कच्चे माल (रॉ मैटेरियल) के मूल्य में वृद्धि होने के फलस्वरूप गत वर्ष के टेण्डर मूल्य में 18-20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गयी है। उक्त कारणों से कृषक अंश में बढोत्तरी हो गयी है। वर्तमान में योजना कृषकों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रही है एवं सोलर पम्प की स्थापना से डीजल एवं बिजली की बचत तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन की तीव्रता में भी कमी आती है। अत: सोलर पम्प के कुल मूल्य (टेण्डर मूल्य) पर कृषकों को टेण्डर मूल्य का 60 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य कराये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार के अंश से टाप अप के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4-<u>योजना का विवरण: -</u>

अ- <u>केन्द्रीय अनुदान:-</u>

एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-32/645/2017-एस.पी.वी. डिविजन, दिनांक 22.07.2019 द्वारा निर्गत गाइड लाइन एवं एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार, नई दिल्ली के बिड डाक्यूमेन्ट संख्या-RfS No. SECI/C&P/MI/00/0010/2022-23 Dated 31.12.2022 के अनुसार निविदा मूल्य अथवा बेन्चमार्क मूल्य में जो भी कम होगा उस पर एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न क्षमता के 01 एच0पी0 से 7.5 एच0पी0 तक के स्टैण्ड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना पर 30 प्रतिशत तथा 10 एच0पी0 के सोलर पम्प पर 7.5 एच0पी0 का अनुदान दिये जाने का निर्देश है। भारत सरकार द्वारा अनुदान में परिवर्तन करने पर देय अनुदान परिवर्तित हो जायेगा।

ब-<u>राज्य सेक्टर से अनुदान:-</u>

शासनादेश संख्या-1018/12-3-2020-100(10)/2014 टी0सी0, दिनांक 23.07.2020 द्वारा सोलर पम्प स्थापना हेतु मा० मंत्रि-परिषद से स्वीकृति के अनुसार 2 एच0पी0 से 7.5 एच0पी0 तक के सोलर पम्पों पर 30 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया गया था, तथा 10 एच0पी0 सोलर पम्प पर 7.5 एच0पी0 पर अनुमन्य अनुदान राज्य सेक्टर से अनुमन्य था।

एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार, नई दिल्ली की निर्गत गाइडलाइन में व्यवस्था है कि राज्य यदि चाहे, तो अपने अंश को बढ़ाकर कृषक अंश को कम कर सकता है, के दृष्टिगत सोलर पम्प की कुल कीमत (निविदा मूल्य) पर कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान दिये जाने पर निम्नानुसार अनुदान दिया जायेगा :-

(धनराशि रू0 में)

क0 सं0	सोलर पम्प का प्रकार	निविदा मूल्य प्रति पम्प जी0एस0टी0 सहित (यू0एस0पी0सी0 रहित)	बेन्चमार्क मूल्य प्रति पम्प जी0एस0टी0 सहित (यू0एस0पी0सी0 रहित)	केन्द्र अनुदान प्रति पम्प (बेन्चमार्क मूल्य का 30 प्रतिशत)	राज्य अनुदान प्रति पम्प			कुल अनुमन्य अनुदान प्रति पम्प (निविदा मूल्य का 60 प्रतिशत)	कृषक अंश
					राज्य अनुदान प्रति पम्प (योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर अनुमन्य वेन्चमार्क मूल्य का 30 प्रतिशत)	अतिरिक्त राज्य अनुदान प्रति पम्प (टाप-अप)	कुल राज्य अनुदान प्रति पम्प		
1	2 एच0पी0 डी0सी0 सरफेस पम्प	171716	145797	43739	43739	15552	59291	103030	68686
2	2 एच0पी0 ए0सी0 सरफेस पम्प	171716	145797	43739	43739	15552	59291	103030	68686
3	2 एच0पी0 डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	174541	145797	43739	43739	17247	60986	104725	69816
4	2 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	174073	145797	43739	43739	16966	60705	104444	69629
5	3 एच0पी0 डी0सी0 सबमर्सिबल पम्प	232721	190523	57157	57157	25319	82476	139633	93088
6	3 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	230445	190523	57157	57157	23953	81110	138267	92178
7	5 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	327498	293500	88050	88050	20399	108449	196499	130999
8	7.5 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	444094	397806	119342	119342	27772	147114	266456	177638
9	10 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	557620	506960	119342	119342	27772	147114	266456	291164

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- शासनादेश संख्या-1018/12-3-2020-100(10)/2014टी0सी0, दिनांक 23.07.2020 द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु 30000 तथा वर्ष 2024-25 हेतु 44250 सोलर पम्प स्थापना का लक्ष्य पहले से ही अनुमोदित है। कृषकों में सोलर पम्प की लोकप्रियता को देखते हुए सोलर पम्प के कुल मूल्य (टेण्डर मूल्य) पर कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान दिये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में रू० 68.29 करोड़ एवं वर्ष 2024-25 में रू० 100.34 करोड़ इस प्रकार कुल रू० 168.63 करोड़ का अनुमानित अतिरिक्त व्यय भार (टाप अप) वहन किया जायेगा। यह अतिरिक्त व्यय भार (टाप अप) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनान्तर्गत प्रावधानित बजट की सीमा में रहेगा।

6- योजनान्तर्गत स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि उन कृषकों, जिनके ट्यूबवेल पर सोलर पम्प स्थापित किये जाये, उन लाभार्थियों के ट्यूबवेल पर पूर्व स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिये जायेंगे। जिन कृषकों के ट्यूबवेल पर सोलर पम्प की सुविधा दी जाए, ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जायेंगे।

7- योजनान्तर्गत स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि विभाग द्वारा पूर्व में स्थापित किये गये एवं वर्तमान में स्थापित किये जाने वाले सोलर पम्प से कृषकों के बढ़े हुए सिंचित क्षेत्रफल एवं उनकी उत्पादकता में हुई वृद्धि के आंकड़ों को वास्तविक रूप में प्राप्त किये जाने की सुदृढ़ व्यवस्था विभाग के पोर्टल पर बनाई जाए, जिसका रिफ्लेक्शन राज्य आय में भी प्रदर्शित हो सके तथा योजना की लोकप्रियता व उपयोग की वास्तविक स्थिति को भी ज्ञात किया जा सके तथा व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए आधार की अनिवार्यता भी सुनिश्चित की जाए।

8- शासनादेश संख्या-1018/12-3-2020-100(10)/2014 टी0सी0, दिनांक 23.07.2020 एवं शासनादेश संख्या- 61/2023/1100/12-5-2023/12-5099/24/2022, दिनांक 15.09.2023 में उल्लिखित अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

9- <u>संभावित आधारभूत लाभ: -</u>

(i) जलवायु परिवर्तन के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन की तीव्रता कम होगी।

(ii) सोलर पम्प की स्थापना से सिंचाई लागत में कमी आयेगी।

(iii) विद्युत रहित क्षेत्र में उपलब्ध डीजल पम्प अथवा सिंचाई के अन्य साधनों के स्थान पर सोलर पम्प से सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा तथा विद्युत पर व्यय भार कम होगा।

(iv) अत्याधिक विश्वसनीय एवं व्यवधान मुक्त सिंचाई संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

(v) पर्यावरण प्रदूषण में कमी आयेगी।

(vi) किसान की आय दोगुनी करने में सहायक होगा।

10- योजनान्तर्गत समय की आवश्यकताओं के अनुरूप किसी प्रकार का परिवर्तन मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन/वित्त/न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
3. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनीत प्रकाश
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।